

2/90
24/1/90

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 89/सीकर/1989-90

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीरवालाजी पार्थिव
स्कूल समिति, लोसल जिला सीकर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक चौबीस माह जनवरी सन् एक हजार नौ सौ नब्बे को
सीकर में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्था
सीकर (राज०)